सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा –4(1)(बी) के अन्तर्गत मैनुअल

उत्तर प्रदेश सतर्कता विभाग

उ0प्र0 शासन।

क0	अधिनियम के बिन्दु	विवरण
1	2	3
1	अपने संगठन, कार्यों तथा कर्तव्यों के विवरण	प्रदेश की जनता को स्वच्छ प्रशासन देने, लोक सेवकों में व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने तथा उनके विरूद्व प्राप्त कदाचार, अनाचार एवं भ्रष्टाचार की शिकायतों में कठोर कार्यवाही करने के उद्देश्य से राज्य में सतर्कता विभाग के अधीन तीन संगठन, यथा उ0प्र0 लोक आयुक्त संगठन, उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशानाधिकरण तथा उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान कार्यरत है। 1– सतर्कता आयोग एवं प्रशासनाधिकरण– शासनादेश दि0 08 जुलाई 1964 द्वारा उ0प्र0 राज्य स्तरीय सतर्कता आयोग का गठन किया गया। सतर्कता आयोग में तीन सदस्य है, जिनमें दो सदस्य यू0पी0 डिसीप्लिनरी प्रोसीडिंगस(एडमिनिस्ट्रेटव ट्रिब्यूनल) रूल्स, 1947 के अधीन गठित प्रशासनिक न्यायाधिकरण के सदस्य होते है और तीसरा सदस्य सतर्कता निदेशक है। सतर्कता आयोग के पदेन अध्यक्ष, प्रशासनिक न्यायाधिकरण प्रथम के अध्यक्ष है तथा सतर्कता आयोग के सदस्य प्रथम व द्वितीय प्रशानाधिकरणों के पदेन सदस्य है। निदेशक सतर्कता भी पदेन सदस्य है। प्रशानिक न्यायाधिकरण में न्यायिक सेवा के भी दो सदस्य होते है। सतर्कता आयोग का कार्य मुख्यतः शासन को संस्तुतियॉ प्रस्तुत करना, विभागों/उपक्रमों से आख्या, विवरण आदि मांगने व उनमें भ्रष्टाचार संबंधी किये गये कार्य पर पर्यवेक्षण के अधिकार भी दिये गये है। 2– सतर्कता अधिष्ठान– लोक सेवकों से संबंधित भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचरण, दुर्व्यवहार एवं कदाचार के सभी मामलों में उच्च स्तरीय जॉच हेतु सतर्कता अधिष्ठान की स्थापना उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965 के अन्तर्गत की गयी है। सतर्कता अधिष्ठान का सर्वोच्च अधिकारी सतर्कता निदेशक होता है, जिसे विभागगाध्यक्ष की शक्तियॉ प्राप्त है तथा वह सीधे राज्य सरकार के सतर्कता विभाग के नियन्त्रणाधीन कार्य करतर है। उत्तर प्रदेश शासन के सतर्कता विभाग द्वारा आदेशित अनुसंधान, खुली जांच तथा गोपनीय जांच एवं अभिसूचना के मामलों सतर्कता नियम संग्रह (Vigilance Manual) में किये गये विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। 3– लोक आयुक्त संगठन– उ0प्र0 लोक आयुक्त संगठन की स्थापना "उ0प्र0 लोक आयुक्त तथा उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975" के अन्तर्गत वर्ष 1977 में की गयी थी। लोक आयुक्त संगठन एक अत्यन्त सरल, प्रभावी, निःशुल्क एवं स्वतन्त्र लोक प्राधिकरण है, जो योजनाबद्व रूप से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निराकरण सुनिश्चित करते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार उन्मूलन की दिशा में निरन्तर अग्रसर है। उ0प्र0 लोक आयुक्त और उप लोक आयुक्त अधिनियम 1975 में उल्लिखित प्राविधानों के अनुसार मा0 लोक आयुक्त द्वारा शासन को उपलब्ध कराये गये विभिन्न प्रतिवेदन एवं वार्षिक प्रतिवेदन प्राप्त होने पर महामहिम राज्यपाल द्वारा उसके संबंध में स्वष्टीकरण, ज्ञापन सहित राज्य विधान मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाये जाते है।
2	अधिकारियों तथा कर्मचारियों के अधिकार तथा कर्तव्य	उत्तर प्रदेश शासन के सतर्कता विभाग को भ्रष्टाचार, कदाचार, दुराचरण आदि की शिकायतें प्राप्त होने पर उनकी जांच गुण–दोष के आधार पर अपने अधीनस्थ संगठनों से कराये जाने की अधिकारिता प्राप्त है। इन जॉचों को आदेशित करने हेतु शासन स्तर पर विभिन्न निर्णायों के स्तरों का निर्धारण किया गया है, जिसके अनुसार सक्षम स्तर के अधिकारियों, विभागीय मंत्री तथा मा0 मुख्यंमत्री का अनुमोदन प्राप्त कर जॉच कार्य संबंधित एजेन्सी को सौपा जाता है।
3	निर्णय लेने में अपनाई जाने वाली प्रकिया, इसके अन्तर्गत	उ0प्र0 शासन के सतर्कता विभाग में जॉच एजेन्सियों से प्राप्त जॉच आख्यायों का सम्यक परीक्षण करके नियमों/अधिनियमों में उल्लिखित व्यवस्था के आलोक में निर्णय लिए जाने हेतु विभिन्न स्तरों का निर्धारण किया गया है। जॉच ऐजसिंयो को सौपी गयी जॉचों का अनुसरण भी शासन द्वारा आवश्यकतानुसार किया जाता है।

	पर्यवेक्षण और जवाबदेही के स्रोत भी सम्मिलित है	
4	कर्तव्यों के सम्पादन हेतु अपनाया जाने वाला मानदण्ड	उ0प्र0 शासन, सतर्कता विभाग में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों का पृथक–पृथक दायित्व निर्धारित है तथा अपने दायित्वों का निर्वहन उनके द्वारा प्रचलित नियमों एवं व्यवस्थओं के अनुरूप किया जाता है। इस हेतु सतर्कता विभाग में शासन स्तर पर पर्यवेक्षणीय स्तर भी निर्धारित किये गये है।
5	अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु कर्मचारी द्वारा प्रयुक्त अपने नियंत्रणाधीन नियमों, विनियमों, निर्देशों, निर्देशिकाओं तथा अभिलेखों	सतर्कता नियम संग्रह, उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान अधिनियम, 1965, अधिसूचना दिनांक 29 अगस्त, 1977, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988
6	अपने द्वारा धारित या अपने अधीन अभिलेखों की कोटियों का विज्ञापन	सतर्कता जांचों से सम्बन्धित जांच आख्याओं एवं शासन स्तर पर पत्रावलियों में किये गये परीक्षण एवं निर्गत किये गये आदेशों से सम्बन्धित अभिलेख अनुरक्षित किये जाते हैं ।
7	कोई प्रबन्ध जो कि परामर्श के लिए अस्तित्व में है, या जिसके द्वारा प्रत्यावेदन किया जाता है वे लोग जो कि इसके नीति निर्धारण या प्रवर्तन में भाग लेंगे, का विवरण	विवरण शून्य है।
8	बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों से असके भागरूप में गठित है या इसके सलाह के लिए, का विवरण, और उन बोर्डों,	(1) सतर्कता विभाग के अन्तर्गत राज्य सतर्कता आयोग गठित है, जिससे सम्बन्धित विवरण http://www. vigilance.up.nic.in पर उपलब्ध है । (2) लोक आयुक्त संगठन भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिससे सम्बन्धित विवरण वेब साइट www.lokayukta.up.nic.in पर उपलब्ध है । (3) उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान भी राज्य सरकार द्वारा स्थापित किया गया है जिससे सम्बन्धित विवरण बेब साइट http://www. vigilance.up.nic.in पर उपलब्ध है ।

	परिषदों, समितियों और अन्य निकाय जो लोगों के लिए खोले गये हैं, या बैठकों की संक्षिप्त रिपोर्ट जो लोगों की पहुँच के अधीन होगे का विवरण					
9	अपने अधिकारियों तथा कर्मचारियों की निर्देशिका	नाम	पदनाम	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास)	आवासीय पता
		श्री कुंवर फतेह बहादुर	प्रमुख सचिव	2215061, 2238256	2236991	25, राज भवन कालोनी
		श्री सत्येन्द्र कुमार रघुवंशी	विशेष सचिव	2215112, 2236372	9335035185 9918165747	205, आर्चिड ब्लाक पार्क व्यू अपार्टमेन्ट सीतापुर रोड, लखनऊ।
		श्री जावेद एहतेशाम	संयुक्त सचिव	22135060	2625635 9454413262	बी–402, लालबाग आफिसर्स कालोनी, लखनऊ
		श्री अजय कुमार सिंह	उप सचिव	2213070	9454411447	सी–1/82ए, सेक्टर–जी जानकीपुर, लखनऊ
		श्री हरिश्चन्द्र	अनु सचिव	2213072	9454411359	582/1256, सत्यलोक कालोनी(बदाली खेड़ा) कानपुर रोड, लखनऊ।
		श्री सुरेश कुमार पाण्डेय	अनु सचिव	2213071	9454411231	2/2 रूचि खण्ड–11 शारदा नगर लखनऊ।
		श्री राजेश प्रताप सिंह,	अनुभाग अधिकारी सतर्कता अनुभाग–1	2213076	9454411365	6/113, विनीत खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।
		श्री एस0पी0 सिंह	अनुभाग अधिकारी सतर्कता अनुभाग–2	2213074	2389806	न्यू 4/5 बादशाहनगर सचिवालय, कालोनी लखनऊ।
		श्री अजय कुमार सिंह	अनुभाग अधिकारी सतर्कता अनुभाग–3	2213075	9454411233	न्यू–2/7 बादशाहनगर सचिवालय, कालोनी, लखनऊ ।
		श्री विन्द गोपाल द्विवेदी	अनुभाग अधिकारी सतर्कता अनुभाग–4	2213857	9454411231	ए–1133/1 सचिवालय, कालोनी इन्दिरा नगर लखनऊ ।
		श्री लीला कन्नौजिया	डेस्क आफिसर सतर्कता विभाग	2213062	9454413442	797, सेक्टर–4 उद्यान–1 एल्डको कालोनी लखनऊ ।

10	अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक वेतन / पारितोषिक, इसके अन्तर्गत प्रतिकर का ढंग जो कि विनियमों द्वारा उपबंधित है, भी सम्मिलित है	पदनाम	वेतन बैंड / वेतनमान		ग्रेड वेतन
		प्रमुख सचिव	PB-IV	37400 – 67000	12000
		विशेष सचिव	PB-IV	37400 – 67000	10000
		संयुक्त सचिव	PB-IV	37400 – 67000	8700
		उप सचिव	PB-III	15600–39100	7600
		अनु सचिव	PB- III	15600 – 39100	6600
		अनुभाग अधिकारी	PB-III	15600 – 39100	5400
		समीक्षा अधिकारी	PB-II	9300 – 34800	4600
		सहायक समीक्षा अधिकारी	PB-II	9300–34800	4200
		कम्प्यूटर सहायक	PB-I	5200 – 20200	2400
		अनु सेवक	I एस	4440 – 7440	1300

11	अपने प्रत्येक अभिकरणों का बजट जो उनसे सम्बन्धित है, जिसमें सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्यय और किये गये भुगतानो का विवरण	
	सतर्कता विभाग में कार्यरत अधिकारियों / कर्मचारियों का वेतन आहरण / वितरण	अनुदान सं0 78 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2052 सचिवालय सामान्य सेवाऐं के अन्तर्गत किया जाता है।
	उ0प्र0 सतर्कता आयोग एवं प्रशानिक न्यायाधिकरण का बजट	अनु अनुदान सं0 82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 104 – सतर्कता– 03 सतर्कता आयोग एवं प्रशानिक न्यायाधिकरण
	उ0प्र0 सतर्कता अधिष्ठान का बजट	अनुदान सं0 82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 104 – सतर्कता– 04 सतर्कता निदेशालय
	उ0प्र0 लोक आयुक्त संगठन का बजट	अनुदान सं0 82 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 2070–अन्य प्रशासनिक सेवाऐं– 05 लोक आयुक्त संगठन(भारित)

12	उपादान कार्यक्रम के निष्पादन का ढंग, जिसके अन्तर्गत धन का विवरण तथा हिताधिकारियों का विवरण जो ऐसे कार्यक्रम से सम्बद्ध होगें, का विवरण	विवरण शून्य है
13	अपने द्वारा अनुदत्त छूटों अधिकार पत्रों अधिकृतियों के प्राप्तकर्ताओं का विवरण	विवरण शून्य है
14	अपने द्वारा प्रदत्त की गई सूचना या प्रदान न की गई सूचना, इलेक्ट्रानिक प्रारूप में निबद्ध की गई सूचना का विवरण	सतर्कता विभाग की वेबसाईट http://www. vigilance.up.nic.in इन्टरनेट पर उपलब्ध है
15	सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधायें, इसके अन्तर्गत	विवरण शून्य है।

	पुस्तकालय के कार्य की अवधि या अध्ययन कक्ष, अगर लोगों के प्रयोग क लिए है, का विवरण	
16	जनसूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम ओर अन्य विवरण	

क0	अपीलीय / जनसूचना अधिकारी	कार्यालय का पता	एसटीडी	दूरभाष (कार्यालय)	दूरभाष (आवास)
1	श्री एस0के0 रघुवंशी, अपीलीय अधिकारी, विशेष सचिव	कक्ष सं0 218, लाल बहादुर शास्त्री भवन, द्वितीय तल, लखनऊ।	0522	2215112	9335035185
2	श्री अजय कुमार सिंह, जन सूचना अधिकार / जन सूचना अधिकारी समन्वय, उप सचिव	सतर्कता अनुभाग–1 व 2 कक्ष सं0 23 बहुखण्डी भवन,प्रथम तल, उ0प्र0 शासन।	0522	2213070	9454411447
3	श्री हरिश्चन्द्र, जन सूचना अधिकारी, अनु सचिव	सतर्कता अनुभाग–4 कक्ष सं0 22 बहुखण्डी भवन,प्रथम तल, उ0प्र0 शासन।	0522	2213072	9454411359
4.	श्री सुरेश कुमार पाण्डेय, जन सूचना अधिकारी, अनु सचिव,	सतर्कता अनुभाग–3 कक्ष सं0 22 बहुखण्डी भवन,प्रथम तल, उ0प्र0 शासन।	0522	2213071	9454411231